(240)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3843–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–10–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हटा जिला दमोह प्रकरण कमांक 4 ब/121/2015–16.

अजय पिता जुगलकिशोर बजाज
निवासी रामगोपाल जी वार्ड हटा
तहसील हटा जिला दमोह म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती कमरूननिशा पति अब्दुल समीखान
निवासी आजाद वार्ड हटा तहसील हटा
जिला दमोह म0प्र0 —— अनावेदिका

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अधिवक्ता आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अधि0 अनावेदिका

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 29–11–2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी हटा जिला दमोह द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री अजय बजाज द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हटा के न्यायालय में शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उनके द्वारा पत्र कमांक /प्रवा0/2015/1168 हटा दिनांक 8.5.2015 को तहसीलदार के यहां जांच हेतु

प्राप्त हुआ । शिकायतकर्ता श्री अजय बजाज द्वारा आवेदन में लेख किया गया है कि निवासी आजाद वार्ड हटा कमरूननिशा पति अब्दुल समी के नाम आंबटित भू–खण्ड (पटट्ा) निरस्त करने का अनुरोध कर कानूनी कार्यवाही करने तथा अतिकमण हटाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण में अनावेदिका कमरूननिशा पति अब्दुल समी खान निवासी हटा को आहूत किया गया। अनावेदिका से शिकायती आवेदन पत्र के संबंध में जबाव प्राप्त किया। जिसमें अनावेदिका ने लेख किया कि आवेदक अजय बजाज के शिकायती आवेदन पत्र में वर्णित सभी आरोप अस्वीकार किये गये हैं। अनावेदिका ने जबाव में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि अनावेदिका अपने पति के साथ एक कच्ची टपरिया बनाकर सन् 1981 से निवासरत थी, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति पटट्ाधारिता अधिकार का प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 के अनुसार एवं इस अधिनियम में हुये संशोधन दिनांक 31.5.98 के तहत अनावेदिका को पटट्ा दिया गया था जबकि अनावेदिका अधिनियम के लागू होते ही उक्त भूमि अनावेदक के व्यवस्थापित हो गई थी। अनावेदिका ने शासन की किसी भूमि पर अतिकमण नहीं किया है । सन् 1984 एवं 1998 में अनावेदिका व उसके पति के पास कोई भी भूमि नगर क्षेत्र में नहीं थी। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 9.10.15 को अपना प्रतिवेदन भेजा जिसमें अनुविभागीय अधिकारी हटा द्वारा दिनांक 28.10.2015 को उपरोक्त प्रतिवेदन के पालन में शिकायतकर्ता की शिकायत निरस्त की गई। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तरवादी ने तथ्यों को छुपाकर आजाद वार्ड हटा में शासकीय भूमि 450 वर्गफुट का पटटा 1998 में प्राप्त किया है जबकि उसके नाम से वर्ष 1985–86 से करीब 500 वर्गफुट का कच्चा मकान आजाद वार्ड हटा में स्थित है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा है कि अनावेदक द्वारा पटट्े की शर्तो का उल्लंघन कर पटट्े में मिली 450 वर्गफुट भूमि के अतिरिक्त करीब 1214 वर्गफुट शासकीय भूमि पर अतिकमण कर मकान निर्माण किया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह

भी तर्क में कहा गया है कि अनावेदिका द्वारा पटवारी से मिलकर झूठा प्रतिवेदन तैयार कराया गया है। अनावेदिका भूमिहीन न होते हुये भी शासन से पटटा प्राप्त किया है जो विधि प्रावधानों के अनुसार सही नहीं है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि अनावेदिका म0प्र0 नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों को पटटाधिकृति अधिकार प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 की धारा 2 में परिभाषित भूमि हीन व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अजय बजाज आवेदक को राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है । आवेदक का आवेदन पत्र दुर्भावनापूर्ण है। अनावेदिका के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा अनावेदिका को पटटा प्रदान करने के प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरूद्व कोई निगरानी आवेदन धारा–4 क के तहत ततसमय सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा अनावेदिका द्वारा पटटो की शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अन्य व्यक्तियों के मकान भी पटटे की भूमि पर बने हुये है तथा पटटे की भूमि पर बने हुये है । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि तहसीलदार का प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28.10.2015 विधि प्रावधानों के अनुसार सही है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बल दिया गया है कि तहसीलदार का प्रतिवेदन तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश सही है। मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी से स्थल जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि दिनांक 13.7.2015 को मौके पर स्थल की

जांच की गई, मौका जांच के अनुसार आवेदिका का मकान खसरा नंबर 243, 244 के अंशभाग पर बना हुआ है। खसरा नंबर 243, 244 अभिलेख के अनुसार शासकीय भूमि दर्ज है। अनावेदिका कमरून निशा पति अब्दुल समी को वर्ष 2003 में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 25 X 18 कुल 450 वर्गफुट का पटटा अनुविभागीय अधिकारी हटा द्वारा प्रदाय किया गया था, पटटे से प्राप्त भूमि पर अनावेदिका का मकान बना है। तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि अनावेदिका का भूमि पर कोई अतिकमण नहीं पाया गया है इस जांच प्रतिवेदन की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.10.15 को गई है, तथा शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज की गई है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन से अनुविभागीय अधिकारी सहमत हुये हैं तथा उनके द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत निरस्त की है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्व हीन होने से निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण कमांक 04/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2015 स्थिर रखा जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर